रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1769] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935
No. 1769] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

का.आ. 2320(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रम सं. 101 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"101	330	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर इलाहाबाद के निकट प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, नवाबगंज, गोंडा को जोड़ते हुए बलरामपुर के	96"

		निकट रारा-730 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	

[फा. सं. एनएच-14012/1/2010-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण :— मूल अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1229(अ) तारीख 16 मई, 2013 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2013

S.O. 2320(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689 (E), dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Table to the said notification, for serial number 101 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"101	330	The highway starting from its junction with NH-30 near Allahabad connecting Pratapgarh, Sultanpur, Faizabad, Ayodhya, Nawabganj, Gonda and terminating at its junction with NH-730 near Balrampur in the State of Uttar Pradesh	96".

[F. No. NH-14012/1/2010-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot note :— The principal notification was published vide number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1229 (E), dated 16th May, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1768] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935
No. 1768] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

का.आ. 2319(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगीं, अर्थात्:-

"25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2बी, सं. 6 [किमी 0.00 से किमी 183.200 (कोलकाता से झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 31 [किमी 447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 551.00 (डलकोला से गोशपुकुर, सिलीगुड़ी के निकट) तक खंड को छोड़कर], सं. 31सी [किमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 32, सं. 34 [किमी	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार".

	31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और पांडेश्वरा – दुअराजपुर सूरी को जोड़ते हुए रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और मोरेग्राम के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए और सं. 117 [किमी 0.00 से किमी 7.16 तक (कोना एक्सप्रेसमार्ग का प्रारंभिक छोर) और जोका से बक्खाली तक किमी 21.80 से किमी 137 तक], सं. 80, सं. 81, नई रारा सं. 114ए, सं. 116बी और नई रारा सं. 131ए, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा. सं. एनएच-14013/2/2013-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1534 (अ), 14 जून, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2013

S.O. 2319(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"25	National Highways No. 2B, No. 6 [excluding from Km. 0.0 to Km.183.200 (from Kolkata to Jharkhand/West Bengal Border)], No.31 [(excluding from Km.447.000 to Km.470.000 and from Km.476.150 to Km.551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No.31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)], No.32, No.34 (excluding from Km.31.00 (Barrasat) to Km.452.70 (Dalkhola), No.60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri and terminating at its junction with NH 34 near	State Government of West Bengal".

	Moregram], No.35, No.55, No.60A and No.117 [from Km. 0.0 to Km. 7.16 (beginning of Kona Expressway) and Km.21.80 to Km.137 from Joka to Bakkhali], No.80, No.81, new NH No. 114 A, new NH No. 116B and new NH No. 131A as are situated within the State of West Bengal.	

[F. No. NH-14013/2/2013-P&M (Pt.)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1534 (E), dated the 14th June, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.